

कार्यालय नगर परिषद धौलपुर, राजस्थान

क : 1712
1634

दिनांक : 21/2/14

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अंतर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2014 के माह मार्च के 21 वे दिन जयपुर/जोधपुर नगर प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास/ नगर परिषद/ नगर पालिका मंडल धौलपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री रस. रन. राजस्थान सोसायटी पुत्र श्री जाति व्यवसाय निवासी

(जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस रत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल यह भी सम्मिलित होंगे। के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम 133560/- तथा विकास शुल्क 148951/- की म जो लीजधारक (पट्टा धारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर गई है और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किए जाएंगे, के एवज में नर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित या गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना वादी रोड मन्चकरीपुर राजस्व ग्राम काबा-धौलपुर खसरा संख्या 109/38 क्षेत्रफल 1780.00 वर्गगज में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल साथ इसके अंतर्गत लिखे गए परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे लगन नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व लेक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और स्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्धारित किए गए नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का या) के तौर पर रूप 106048/- अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष जिसमें राशि जमा कराई जाती है, सम्मिलित करते हुए पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गई नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के धित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी रीक्षण का दावा होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 शत होगी।

पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।

उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अंतर्गत अनुमति दी गई है, के लिए या जाएगा और इसी प्रायोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जाएगा।

इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अंतर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर न का निर्माण कराया जाएगा।

लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों के अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित या गया है। लीजधारक द्वारा उप पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जाएगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं गी। उप पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किए जाने, शासित होंगे।

उक्त भूखण्ड के अंतरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण के निक्षिप्त की जाएगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जावेगी।

उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान न-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन न-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

रस. रन. राजस्थान सोसायटी
धौलपुर

उप पजीयक
धौलपुर